



उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग-2

संख्या: /V-2/2017-05(आ0)/2017
देहरादून / 13 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या-1809/V-2/05(आ0)/2017, दिनांक 13 नवम्बर, 2017 के द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, अल्मोडा के रूप में अधिसूचित किया जाता है तथा कुमाऊ मण्डल के मण्डलायुक्त को अध्यक्ष, जिलाधिकारी, अल्मोडा को उपाध्यक्ष तथा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), अल्मोडा को सचिव के रूप में अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

LBc.
b3
oe
11/11/17

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या /V-2/05(आ0)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि : सयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रुडकी, हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की 500 प्रतियाँ मुद्रित कराते हुए प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
सयुक्त सचिव।

1810(2)
संख्या /V-2/05(आ0)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूँ।
- 4- मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- जिलाधिकारी, अल्मोडा।
- 7- अपर जिलाधिकारी, अल्मोडा।
- 8- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।
- 9- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 10- सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
- 11- गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,
(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।